<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>07.03.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने 06.03.2025 को डब्ल्यूटीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर आशीष भल्ला को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट धोखाधड़ी और डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े 1000 करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम ने आरोपी को 6 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने फरीदाबाद पुलिस, दिल्ली ईओडब्ल्यू और अन्य एलईए द्वारा दर्ज 30 से अधिक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें फरीदाबाद और अन्य स्थानों से विभिन्न निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये एकत्र करके रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहने और सुनियोजित साजिश के तहत सैकड़ों निवेशकों से उनके पैसे ठगने के आरोप में भादस की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे कई अनुसूचित अपराधों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है।

ईडी की जांच में पता चला है कि डब्ल्यूटीसी समूह डब्ल्यूटीसी ब्रांड के तहत 5 प्रमुख परियोजनाएं शुरू कर रहा था और भूखंड/व्यावसायिक स्थान में उनके निवेश के बदले में सुनिश्चित रिटर्न का वादा करके धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। विभिन्न स्थानों पर भूमि पार्सल हासिल करने के लिए फंड को कई शेल कंपनियों में अंतरित और स्थानांतरित किया गया था। जांच में यह भी पता चला है कि सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश में सिंगापुर में संदिग्ध संस्थाओं को भी भेजे गए थे, जिनका लाभकारी स्वामित्व आशीष भल्ला के परिवार के सदस्यों के पास है। आगे की जांच में पता चला है कि डब्ल्यूटीसी समूह ने हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पंजाब इत्यादि जैसे कई राज्यों के विभिन्न निवेशकों से 3000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए थे और अधिकांश धनराशि का उपयोग कभी भी विकास के लिए नहीं किया गया था। जांच में पता चला है कि वह समूह की धोखाधड़ी गतिविधियों का एक प्रमुख लाभार्थी और मास्टरमाइंड है।

ईडी ने **27.02.2024** को तलाशी अभियान चलाया**,** जिसके दौरान आशीष भल्ला फरार रहा और उसने जांच में सहयोग न करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को उकसाया। सबूतों से छेड़छाड़ रोकने और पीएमएलए**, 2002** के तहत कार्यवाही को विफल करने के लिए उसे **06.03.2025** को गिरफ्तार किया गया।

आगे की जांच जारी है।